

फोन/Phone : 91-22-6656 5656

ई-मेल/ email :

secretary@mumbaiport.gov.in



MUMBAI PORT
AUTHORITY
मुंबई पत्तन प्रधिकरण



सामान्य प्रशासन विभाग
पोर्ट भवन, दूसरा माला,
शूरजी बल्लभदास मार्ग, बॉलार्ड इस्टेट,
मुंबई - 400 001.

General Administration Department,
Port House, 2nd floor,
S.V. Marg, Ballard Estate,
MUMBAI - 400 001.

No. GAD/G/MPA/ 3337

26th August, 2022

**THE HEADS OF DEPARTMENTS
HEADS OF DIVISIONS**

Sub: **Rules under Section 71(1) of the Major Port
Authorities Act, 2021.**

The Major Port Authorities Act, 2021 (MPA Act, 2021) is notified by the Ministry of Law & Justice (Legislative Department) on 18.2.2021. By Gazette Notification dated 29.10.2021, the provisions of the Act came into force with effect from 3.11.2021. Subsequently, the Central Government, in pursuance of sub-section 1 of Section 3 of the Major Port Authorities Act, 2021 has constituted the Board of Mumbai Port Authority w.e.f. 31st January 2022, vide Gazette Notification G.S.R. No.62 (E.) dated 31st January 2022.


2. The Board of Mumbai Port Authority vide Resolution No.2 dated 15.2.2022 accorded approval to change the name of "Mumbai Port Trust" to Mumbai Port Authority" in accordance with the Major Port Authorities Act. The same has been notified in the Maharashtra Government Gazette on 25.3.2022 vide Notification No.GAD/G/MPA/1204 dated 24.3.2022. Vide Table Paper No.(vi) dated 26.4.2022 the Board has been apprised about the same. Copy of the said TP alongwith Gazette Notification dated 25.3.2022 is attached for information and necessary action.

3. As per Section 71 (1) of the MPA Act, 2021, the Central Government, by Notification, may make rules for carrying out the provisions of this Act. Accordingly, the Ministry has framed following Rules under MPA Act, 2021, and published the same vide Gazette Notification dated 23.11.2021 in the Central Government Gazette-

(i)	The Major Port Authorities (Accounts and Audit) Rules, 2021.
(ii)	The Major Port Authorities (Corporate Social Responsibility) Rules 2021 (1 of 2021).
(iii)	The Major Port Authorities (Master Plan and Application of Funds from Non Port related Use) Rules, 2021.
(iv)	The Major Port Authorities (Application of Money in Sinking Fund) Rules, 2021.
(v)	The Major Port Authorities (Fixation and Implementation of Scale of Rates, Fees and Conditions) Rules, 2021.

4. By Resolution No.48 dated 10.6.2022, the Board has accorded approval to the implementation of these Rules. Copy of the BR No.46 dated 10.6.2022 is attached for information. You are requested to take necessary action for implementation of these Rules.

DA: As above


(U.R.Mohan Raju)
SECRETARY

(250/g section/Regulation under MPA/Circular – rules under MPA)

TP (vi)
26.4.2022

महा पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021
-मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का मुंबई पोर्ट अथॉरिटी
(मुंबई पत्तन प्राधिकरण) के रूप में नाम परिवर्तन.
The Major Port Authorities Act, 2021.
- Renaming of Mumbai Port Trust as
Mumbai Port Authority.

With enactment of the Major Port Authorities Act, 2021, the Board of Mumbai Port Authority, by Resolution No.2 dated 15.2.2022 accorded approval to the following changes effective from 31.1.2022:

Sl. No. (1)	Earlier Name (2)	New Name (3)
1.	Mumbai Port Trust	Mumbai Port Authority
2.	The Board of Trustees of the Port of Mumbai	The Board of Mumbai Port Authority
3.	MbPT	MbPA

2. Accordingly, the Notification has been published in the Maharashtra Government Gazette on 25.3.2022. Copy of the Notification is at *Annexure.

3. Submitted for information of the Board.

C6/Pro 26 April 2022/TP-MPA Renaming Gazette

*Printed as Annexure

1997
2001

...
...
...
...
...

...
...
...

...
...
...
...
...

...
...
...

...

...

...



महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग दोन

वर्ष ८, अंक २२]

शुक्रवार, मार्च २५, २०२२/चैत्र ४, शके १९४४

[पृष्ठ १, किंमत : रुपये १२.००

असाधारण क्रमांक ४०

प्राधिकृत प्रकाशन

MUMBAI PORT AUTHORITY

No. GAD/G/MPA/1204

NOTIFICATION

1. Vide Gazette of India [S.O. 4504 (E)] Notification Extraordinary-Part II -Section 3- Sub-Section (ii) No. CG-DL-E-30102021-230842 dated 29th October 2021 (Annexure-I), the Central Government has appointed the 3rd day of November 2021, as the date on which the provisions of the Major Port Authority Act shall come into force.
2. Subsequently, the Central Government, in pursuance of sub-Section 1 of Section 3 of the Major Port Authorities Act, 2021 has constituted the Board of Mumbai Port Authority *w.e.f.* 31st January 2022, *vide* Gazette Notification G.S.R. No. 62 (E.) dated 31st January 2022.
3. The Board of Mumbai Port Authority *vide* Resolution No. 2 dated 15th February 2022 accorded approval to change the name of "Mumbai Port Trust" to "Mumbai Port Authority" in accordance with the Major Port Authorities Act.
4. In view of that, the following changes are effected from 31st January 2022, i.e. the date of constitution of Board of Mumbai Port Authority by the Central Government.

Sr. No. (1)	Earlier Name (2)	New Name (3)
1	Mumbai Port Trust	Mumbai Port Authority
2	The Board of Trustees of the Port of Mumbai.	The Board of Mumbai Port Authority.
3	MbPT	MbPA

Mumbai,
dated the 24 th March 2022.

U. R. MOHAN RAJU,
Secretary,
Mumbai Port Authority.

भाग दोग-४०-१

(१)

16. Rules under Section 71 (1) of the Major Port Authorities (MPA) Act, 2021.

The Major Port Authorities Act, 2021 has been notified by the Ministry of Law & Justice (Legislative Department) on 18.2.2021. By Gazette Notification dated 29.10.2021, the provisions of the Act came into force with effect from 3.11.2021.

2. As per Section 71 (1) of the said Act, the Central Government may, by notification, make rules for carrying out the provisions of this Act. The following 5 Major Port Authorities Rules published by the Ministry vide Gazette Notification dated 23.11.2021 have been received. The same have been forwarded to all Heads of Departments and Heads of Divisions by Chief Law Officer on 30.11.2021 for information.

(i)	The Major Port Authorities (Accounts and Audit) Rules, 2021. (*Annexure I)
(ii)	The Major Port Authorities (Corporate Social Responsibility) Rules 2021 (1 of 2021) (*Annexure II)
(iii)	The Major Port Authorities (Master Plan and Application of Funds from Non Port related Use) Rules, 2021. (*Annexure III)
(iv)	The Major Port Authorities (Application of Money in Sinking Fund) Rules, 2021. (*Annexure IV)
(v)	The Major Port Authorities (Fixation and Implementation of Scale of Rates, Fees and Conditions) Rules, 2021. (*Annexure V)

3.. The Board's approval is requested for implementation of the above 5 rules in Mumbai Port Authority.

4. Copy of the Chairman's approval is at *Annexure VI.

Note of discussions at the Board meeting held on 10th June 2022.

Secretary explained the proposal in brief. The Board approved the same.

संकल्प संख्या 48

10.6.2022

Resolution No.48

10.6.2022

Board approved implementation of the five rules under Major Port Authorities Act, 2021 as at para 2 of the note, in Mumbai Port Authority.

CG/Ag June 2022/five rules for adaptation


 सत्यमेव जयते
भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.ए.-23112021-231301
CG-DL-E-23112021-231301

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 661]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 23, 2021/अग्रहायण 2, 1943

No. 661]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 23, 2021/AGRAHAYANA 2, 1943

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 2021

सा. का. नि. 820(अ).—केंद्रीय सरकार, महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 (2021 का 1) की धारा 71 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 44 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ--- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम महापत्तन प्राधिकरण (लेखा और संपरीक्षा) नियम, 2021 हैं।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. संभाषण---(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "अधिनियम" से महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 (2021 का 1) अभिप्रेत है ;

(ख) "संपरीक्षा अधिकारी" से भारत का नियंत्रक और महालेखापरीक्षक अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत महापत्तन प्राधिकरण के लेखाओं की संपरीक्षा से संश्लेषण उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति भी सम्मिलित है ;

(ग) महापत्तन प्राधिकरण के संवक्ष में "लेखा बन्ही" के अंतर्गत निम्नलिखित के संवक्ष में रखे गए अभिलेख सम्मिलित हैं--

(i) महापत्तन प्राधिकरण द्वारा प्राप्त की गई या प्राप्त होने योग्य और व्यय की गई या व्यय होने योग्य सभी धनराशियां और उनसे संबंधित ऐसे विवरण, जिनसे प्राप्ति और व्यय गिन गए हैं ;

(ii) महापत्तन प्राधिकरण द्वारा माल और सेवाओं के सभी विक्रय और क्रय ; और

(iii) महापत्तन प्राधिकरण की आस्तियां और दायित्व ;

(घ) "वित्तीय वर्ष" से 1 अप्रैल से प्रारंभ होने वाला वर्ष अभिप्रेत है।

(2) अन्य शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और इस नियमों में परिभाषित नहीं हैं, कानून अधिनियम में परिभाषित हैं, यही अर्थ होंगे जो इस अधिनियम में हैं।

3. बजट को तैयार करना और प्रस्तुत करना—(1) आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक महापत्तन प्राधिकरण की आय और व्यय का बजट प्राक्कलन केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसी रीति में, जो समय-समय पर नियत किया जाए, इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत उक्त महापत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष या ऐसे कर्मचारी द्वारा तैयार की जाएगी।

(2) इस प्रकार तैयार किए गए बजट प्राक्कलन की एक प्रति बोर्ड की बैठक के कम से कम सात दिन पूर्व बोर्ड के प्रत्येक सदस्य को भेजी जाएगी, जिससे उस प्राक्कलन पर विचार किया जा सके।

(3) बोर्ड, ऐसे परिवर्तन के साथ, जो वह उचित समझे, बजट प्राक्कलन पर विचार करेगा और उसकी मंजूरी देगा या किसी अन्य बैठक के लिए बजट प्राक्कलन पर विचार करने के लिए अस्थगित की जाएगी।

(4) उपनियम (3) के अधीन महापत्तन प्राधिकरण द्वारा मंजूर किया गया बजट प्राक्कलन महापत्तन प्राधिकरण के बोर्ड द्वारा केंद्रीय सरकार को भेजा जाएगा जो वित्तीय वर्ष के पूर्व वित्तीय वर्ष के 31 दिसंबर के बाद का न हो, जिससे बजट प्राक्कलन पर किया गया विचार संबंधित है।

(5) केंद्रीय सरकार बजट प्राक्कलन का पुनर्विलोकन करेगी और उसे वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से पूर्व, जो तीस दिनों के बाद का न हो, बोर्ड को सुझावों के साथ या उसके बिना वापस भेजेगी।

(6) उपनियम (5) के अधीन बजट प्राक्कलन की प्राप्ति पर बोर्ड, केंद्रीय सरकार द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार करेगा, यदि कोई हो और ऐसे परिवर्तनों के साथ, जो वह ठीक समझे, बजट प्राक्कलन को अनुमोदित करेगा।

4. अनुपूरक बजट—बोर्ड, नियम 4 के अधीन पूर्व में अनुमोदित किए गए किसी बजट प्राक्कलन के लिए किसी वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसे वर्ष के अवशिष्ट अवधि के लिए एक या एक से अधिक अनुपूरक बजट प्राक्कलन तैयार करेगा और नियम 4 के उपबंध ऐसे प्राक्कलन के लिए ऐसे लागू होंगे, जैसे किसी मूल बजट प्राक्कलन में थे।

5. पुनर्विनियोग—(1) यदि उसके द्वारा प्राधिकृत अध्यक्ष या कोई व्यक्ति, वर्ष के दौरान यह पाता है कि किसी शीर्ष के अधीन मंजूर किए गए बजट प्राक्कलन (जिसके अंतर्गत कोई पुनरीक्षित बजट प्राक्कलन भी सम्मिलित है) व्यय से अधिक होने वाला है या उक्त मंजूर की गई या पुनरीक्षित बजट प्राक्कलन में सम्मिलित कोई राशि किसी अत्यावश्यक आपात के कारण अपेक्षित है, तो अध्यक्ष या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति किसी अन्य शीर्ष के अधीन अधिसंभाव्य व्यय के पता चलने पर बजट प्राक्कलन के प्रत्येक शीर्ष के अधीन किए गए आवंटन की परीक्षा करेगा और इसके प्रस्ताव को बोर्ड के समक्ष पुनर्विनियोग को प्रभावी करने के लिए प्रस्तुत करेगा।

(2) अहां ऐसा पुनर्विनियोग साध्य है, बोर्ड इस निमित्त जो उचित समझे, ऐसी शर्तों के अध्वधीन रहते हुए पुनर्विनियोग की मंजूरी दे सकेगा।

6. लेखाओं को रखना—बोर्ड, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए लेखा बहियां और अन्य संबंधित पुस्तकें तैयार करेगा और रखेगा जो महापत्तन प्राधिकरण के कार्यकलाप की स्थिति का सही और ऋजु चित्र देता है और ऐसी पुस्तक ऐसी रीति में रखी जाएगी, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

7. आंतरिक लेखापरीक्षक—(1) बोर्ड, एक आंतरिक लेखापरीक्षक नियुक्त कर सकेगा, जो महापत्तन के कृत्यों और कार्यकलापों से संबंधित लेखाओं, विवरणों और दस्तावेजों की आंतरिक संपरीक्षा करने के लिए बोर्ड द्वारा विनिश्चित किया गया कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत और प्रबंध लेखापरीक्षक या ऐसे अन्य वृत्तिक होगा।

माप्रीकरण—इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए, "चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत और प्रबंध लेखापरीक्षक या ऐसे अन्य वृत्तिक" शब्दों से आशय है कि बोर्ड द्वारा नियुक्त कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत और प्रबंध लेखापरीक्षक या ऐसे अन्य वृत्तिक अभिप्रेत है।

(2) उपनियम (1) के अधीन किसी आंतरिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति बोर्ड द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए वृत्तिकों के पैनल से की जाएगी।

(3) बोर्ड या बोर्ड द्वारा नियुक्त कोई संपरीक्षा समिति आंतरिक लेखापरीक्षा को संचालित करने के लिए परिधि, कृत्य, आवर्तित और कार्य प्रभाली निश्चित करेगा।

(4) उपनियम (3) पर प्रतिभूल प्रभाव डाले बिना, आंतरिक लेखापरीक्षक महापत्तन प्राधिकरण के संचयनहारों और मासिक लेखाओं की परीक्षा करेगा और रिपोर्ट देगा और यह प्रमाणित करेगा कि क्या उसकी राय में ऐसे संचयनहार और लेखा समय-समय पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित लेखा नीतियों के अनुसार उचित रूप से किए गए हैं।

8. लेखाओं के वार्षिक विवरण को तैयार करना और प्रस्तुत करना—(1) बोर्ड, केंद्रीय सरकार द्वारा नियत किए गए ऐसे समय के भीतर वर्ष वित्तीय वर्ष के लेखाओं का कोई वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ के पश्चात् तैयार करेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन तैयार किए गए लेखाओं के वार्षिक विवरण में ऐसी सूचना और विशिष्टियां सम्मिलित होंगी जो केंद्रीय सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के परामर्श से विनिर्दिष्ट की जाए।

(3) उपनियम (1) के अधीन तैयार किए गए लेखाओं का वार्षिक विवरण महापत्तन प्राधिकरण के कार्यकलापों की स्थिति का सही और ऋजु चित्र देगा और ऐसे लेखा मानकों का अनुपालन करेगा जो समय-समय पर भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए :

परंतु केवल इन तथ्यों के कारण लेखाओं का वार्षिक विवरण महापत्तन प्राधिकरण के कार्यकलाप की स्थिति का सही और ऋजु चित्र न प्रकट करने वाला नहीं समझा जाएगा कि ऐसे विषयों को प्रकट नहीं करते हैं जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा प्रकट करने के लिए अपेक्षित न हो।

(4) उपनियम (3) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां महापत्तन प्राधिकरण के वार्षिक विवरण उपनियम (3) में निर्दिष्ट लेखा मानकों का अनुपालन नहीं करता है, तो ऐसा महापत्तन प्राधिकरण ऐसे विचलन से उद्भूत लेखा मानकों से विचलन, ऐसे विचलन का कारण और वित्तीय प्रभाव, यदि कोई हो, लेखाओं का वार्षिक विवरण प्रकट करेगा।

(5) लेखाओं का वार्षिक विवरण बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और महापत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष (उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा) और महापत्तन में वित्त विभाग के प्रमुख द्वारा बोर्ड की ओर से हस्ताक्षरित किया जाएगा।

(6) उपनियम (5) के अधीन स्वीकृत और हस्ताक्षरित लेखाओं का वार्षिक विवरण को महापत्तन प्राधिकरण की सामान्य मुहर द्वारा प्रमाणीकृत किया जाएगा और ऐसे समय के भीतर, जो केंद्रीय सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की सलाह से नियत किया जाए, प्रत्येक वर्ष महापत्तन द्वारा संपरीक्षा अधिकारी को भेजा जाएगा।

(7) संपरीक्षा अधिकारी महापत्तन प्राधिकरण के लेखाओं के वार्षिक विवरण की रिपोर्ट देगा और संपरीक्षा करेगा तथा यह प्रमाणित करेगा कि क्या उसकी राय में तुलनपत्र और लाभ तथा हानि लेखे, जिसमें सभी विशिष्टियां सम्मिलित हैं, और महापत्तन प्राधिकरण के कार्यकलाप की स्थिति का सही और ऋजु चित्र प्रदर्शित करते हैं और महापत्तन प्राधिकरण या उसके किसी अधिकारी से कोई सूचना प्राप्त करने की दशा में क्या उसे टी गई है और वह संतोषजनक हैं।

(8) संपरीक्षा अधिकारी महापत्तन प्राधिकरण के लेखाओं के वार्षिक विवरण की संपरीक्षा पूर्ण करेगा और संपरीक्षा रिपोर्ट को ऐसे समय के भीतर ऐसे महापत्तन प्राधिकरण के बोर्ड को भेजेगा जो भारत सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के परामर्श से निश्चित किया जाए।

(9) संपरीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट के साथ संपरीक्षा अधिकारी द्वारा यथा प्रमाणित लेखाओं का वार्षिक विवरण बोर्ड द्वारा केंद्रीय सरकार को ऐसे समय के भीतर जो आगामी वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर, जो केंद्रीय सरकार द्वारा नियत किए गए लेखाओं से संबंधित है, वार्षिक रूप से भेजा जाएगा।

परंतु यदि संपरीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त नियत किए गए समय के भीतर प्राप्त नहीं की जाती है तो लेखाओं का वार्षिक विवरण संपरीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट के बिना केंद्रीय सरकार को भेजा जाएगा।

9. संपरीक्षा फीस और वास्तविक व्यय का संदाय—बोर्ड, ऐसी तारीख से, जो उनके द्वारा कोई मांग की गई है, तीन मास के भीतर उनके लेखाओं के वार्षिक विवरण से संबंधित विवरण उनमें से प्रत्येक द्वारा उपगत संपरीक्षा फीस और वास्तविक व्यय आंतरिक संपरीक्षक और संपरीक्षा अधिकारी को संवत्त करेगा।

10. लेखाओं का अनौचित्य या अनियमितता—(1) यथास्थिति, आंतरिक संपरीक्षक या संपरीक्षा अधिकारी बोर्ड को निम्नलिखित से संबंधित यदि आवश्यक हो, एक पृथक् विवरण प्रस्तुत करेगा—

(क) कोई तात्त्विक अनौचित्यता, अनियमितता या त्रुटियां, जो वह महापत्तन प्राधिकरण के व्यय या वकाए प्रणम की बगुली में या लेखाओं में देखा सकेना; या

(ख) महापत्तन द्वारा स्वामित्वाधीन या उसमें निहित कोई धन या अन्य संपत्ति का दुर्भ्रंय, जो उपेक्षा या अवचार द्वारा कारित की गई है, जो ऐसे व्यक्ति के नाम से, जो उगकी राय में प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी हानि या दुर्भ्रंय के लिए दायी है।

(2) उपनियम (1) के अधीन विवरण की प्राप्ति पर बोर्ड ऐसी किसी त्रुटि या अनियमितता पर तुरंत विचार करेगा जो आंतरिक संपरीक्षक या संपरीक्षा अधिकारी की अपनी संपरीक्षा रिपोर्ट में ऐसी त्रुटियों या अनियमितताओं के बारे में बताया जाएगा और उग पर ऐसी कार्रवाई करेगा, जो बोर्ड उचित समझे।

परंतु यदि संपरीक्षा रिपोर्ट में सम्मिलित किसी प्रश्न पर बोर्ड और संपरीक्षा अधिकारी के बीच राय में कोई मतभेद है और बोर्ड सूझावों को स्वीकार करने में या उसे स्वीकार करने में, यदि कोई हो, अक्षम है, तो ऐसे प्रश्न पर संपरीक्षा अधिकारी द्वारा वह विषय केंद्रीय सरकार को तुरंत विनिर्दिष्ट किया जाएगा, जो उग पर अंतिम आदेश पारित करेगी और बोर्ड ऐसे आदेशों को प्रभावी करने के लिए बाध्य होगा।

[फा.सं. पीडी-24015/21/2021-पीडी-11]

विक्रम सिंह, संपुक्त सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS
NOTIFICATION

New Delhi the 22nd November, 2021

G.S.R. 820(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 44 read with sub-section (1) of section 71 of the Major Port Authorities Act, 2021 (1 of 2021), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Major Port Authorities (Accounts and Audit) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.— (1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

- (a) “Act” means the Major Port Authorities Act, 2021 (1 of 2021);
- (b) “Audit Officer” means the Comptroller and Auditor General of India and includes any person appointed by him in connection with the audit of accounts of the Major Port Authority;
- (c) “books of account” in relation to a Major Port Authority, includes the records maintained in respect of—
 - (i) all sums of money received or receivable and expended or expendable by the Major Port Authority and matters in relation to which the receipts and expenditure takes place;
 - (ii) all sales and purchases of goods and services by the Major Port Authority; and
 - (iii) the assets and liabilities of the Major Port Authority;
- (d) “financial year” means the year commencing on the first day of April;

(2) Words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Preparation and submission of budget.— (1) The budget estimate of income and expenditure of each Major Port Authority for the next financial year shall be prepared by the Chairperson or such employee of the said Major Port Authority as may be authorised by him in this behalf, in such manner as the Central Government may, from time to time, specify.

2) A copy of the budget estimate so prepared shall be sent to each Member of the Board at least seven days before the meeting of the Board at which such estimate is to be considered.

(3) The Board shall consider and sanction the budget estimate with such changes as it thinks fit at the meeting fixed for the purpose or at any other meeting to which the consideration of the budget estimate is adjourned.

(4) The budget estimate sanctioned by the Major Port Authority under sub-rule (3) shall be forwarded by the Board of that Major Port Authority to the Central Government not later than 31st day of December of the financial year preceding the financial year to which the consideration of the budget estimate relate.

(5) The Central Government shall review the budget estimate and shall return it with or without suggestions to the Board not later than thirty days prior to the commencement of the financial year.

(6) Upon receipt of the budget estimate under sub-rule (5), the Board shall consider the suggestions, if any, made by the Central Government thereon and shall approve the budget estimate with such changes as it may think fit.

4. Supplementary Budget.— The Board may, in the course of any financial year for which a budget estimate has already been approved under rule (4), prepare one or more supplementary budget estimates for the residual period of such year and the provisions of rule (4) shall, so far as may be, apply to such estimate as if it were an original budget estimate.

5. Re-appropriation.— (1) If the Chairperson or any person authorised by him finds in the course of the year that there is likely to be an excess of expenditure over the sanctioned budget estimate (including any revised budget estimate) under any head, or any sum included in the said sanctioned or revised budget estimate is required for any pressing emergency, the Chairperson or any person authorised by him shall examine the allocation under each head of budget estimate with the object of discovering probable savings under any other head and submit its proposal to the Board to effect the re-appropriation.

(2) Where such re-appropriation is feasible, the Board may sanction the re-appropriation subject to such conditions as it may deem appropriate in that behalf.

6. Maintenance of accounts.— The Board shall prepare and keep books of account and other relevant books and papers for every financial year which gives a true and fair view of the state of affairs of the Major Port Authority and such books shall be kept in such manner as may be specified by the Central Government.

7. Internal Auditor.— (1) The Board may appoint an internal auditor, who shall either be a chartered accountant or cost and management accountant or such other professional as may be decided by the Board to conduct internal audit of the accounts, statements and documents concerning the functions and activities of the Major Port.

Explanation - For the purposes of this sub-rule, the term "chartered accountant or cost and management accountant or such other professional" shall mean a chartered accountant or cost and management accountant or such other professional, engaged in practice.

(2) The appointment of an internal auditor under sub-rule (1) shall be done by the Board from the panel of professionals maintained by the Comptroller and Auditor General of India or the Reserve Bank of India.

(3) The Board or any audit committee appointed by the Board shall formulate the scope, functioning, periodicity and methodology for conducting the internal audit.

(4) Without prejudice to sub-rule (3), the internal auditor shall examine and report on the transactions and monthly accounts of the Major Port Authority and certify whether in his opinion such transactions and accounts are properly drawn up in accordance with the accounting policies as approved by the Board from time to time.

8. Preparation and submission of annual statement of accounts — (1) The Board shall, within such time as may be fixed by the Central Government, prepare after the commencement of each financial year an annual statement of accounts for the previous financial year.

(2) The annual statement of accounts prepared under sub-rule (1) shall include such information and particulars as may be specified by the Central Government in consultation with the Comptroller and Auditor General of India.

(3) The annual statement of accounts prepared under sub-rule (1) shall give a true and fair view of the state of affairs of the Major Port Authority and comply with such accounting standards as specified by the Institute of Chartered Accountants of India from time to time:

Provided that the annual statement of accounts shall not be treated as not disclosing a true and fair view of the state of affairs of the Major Port Authority, merely by reason of the fact that they do not disclose any matters which are not required to be disclosed by any law for the time being in force.

(4) Without prejudice to sub-rule (3), where the annual statement of accounts of the Major Port Authority do not comply with the accounting standards referred to in sub-rule(3), such Major Port Authority shall disclose in its annual statement of accounts, the deviation from the accounting standards, the reasons for such deviation and the financial effects, if any, arising out of such deviation.

(5) The annual statement of accounts shall be approved by the Board and signed on behalf of the Board by the Chairperson (or in his absence, by the Deputy Chairperson) and the Head of Finance department in the Major Port.

(6) The annual statement of accounts adopted and signed under sub-rule (5) shall be authenticated by affixing the common seal of the Major Port Authority and shall be submitted by the Major Port to the Audit Officer each year within such time as may be fixed in this behalf by the Central Government in consultation with the Comptroller and Auditor General of India.

(7) The Audit Officer shall audit and report on the annual statement of accounts of the Major Port Authority and certify whether in his opinion the balance sheet and profit and loss account contain all particulars and are properly drawn up so as to exhibit a true and fair state of affairs of the Major Port Authority and in case he has called for any information from the Major Port Authority or any of its officers, whether it has been given and whether it is satisfactory.

(8) The Audit Officer shall complete the audit of the annual statement of accounts of the Major Port Authority and submit the audit report to the Board of such Major Port Authority within such time as may be fixed by the Central Government in consultation with the Comptroller and Auditor General of India.

(9) The annual statement of accounts as certified by the Audit Officer, together with the report of the Audit Officer shall be forwarded annually to the Central Government by the Board within such time following the close of the financial year to which the accounts relate as may be fixed by the Central Government:

Provided that if the report of the Audit Officer is not received by the Board within such time as may be fixed in this behalf by the Central Government, the annual statement of accounts shall be submitted to the Central Government without the report of the Audit Officer.

9. Payment of audit fee and out of pocket expenses.— The Board shall pay to the internal auditor and the Audit Officer the audit fee and out of pocket expenses incurred by each of them in connection with the annual audit of its accounts, within three months from the date of which any demand is made by them.

10. Impropriety or irregularity in accounts.— (1) The internal auditor or the Audit Officer, as the case may be, shall submit a separate statement to the Board, if necessary, in regard to-


- (a) any material impropriety, irregularity or defects which he may observe in the expenditure, or in the recovery of moneys due to, or in the accounts of the Major Port Authority; or
- (b) any loss or waste of money or other property owned by or vested in the Major Port Authority which has been caused by neglect or misconduct, with the names of the persons who in their opinion are directly or indirectly responsible for such loss or waste.

(2) The Board upon receipt of statement under sub-rule (1) shall forthwith take into consideration any defects or irregularities that may be pointed out by the internal auditor or the Audit Officer in its audit report and shall take such action thereon as the Board may think fit:

Provided that if there is a difference of opinion between the Board and the Audit Officer on any point included in the audit report, and the Board is unable to accept or implement the recommendations, if any, made by the Audit Officer on such point, the matter shall forthwith be referred to the Central Government which shall pass final orders thereon and the Board shall be bound to give effect to such orders.

[F. No. PD-24015/21/2021, PD-I]

VIKRAM SINGH, Jt. Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23112021-231314
CG-DL-E-23112021-231314

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II Section 3 Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 664]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 23, 2021/अग्रहायण 2, 1943

No 664]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 23, 2021/AGRAHAYANA 2, 1943

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 नवंबर, 2021

सा.का.नि. 823(अ).—केंद्रीय सरकार, महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 (2021 का 1) की धारा 71 की उपधारा (2) के खंड (द) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम महापत्तन प्राधिकरण (कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) नियम, 2021 (2021 का 1) है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

(3) ये नियम महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 1 की उपधारा (3) में उल्लिखित महापत्तनों को लागू होंगे।

2. परिभाषाएं—इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 (2021 का 1) अभिप्रेत है;

(ख) "कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व" से निम्नलिखित अभिप्रेत है और उगमं सम्मिलित है, किंतु यह इन तक ही सीमित नहीं है,—

- (i) अधिनियम की धारा 70 में विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों से संबंधित परियोजनाएं या कार्यक्रम ; और
- (ii) केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व मार्गदर्शी सिद्धांतों में यथाविनिर्दिष्ट क्रियाकलापों से संबंधित परियोजनाएं या कार्यक्रम ;
- (ग) "कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति" से महापत्तन द्वारा गठित कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति अभिप्रेत है ;
- (घ) "कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व मार्गदर्शी सिद्धांत" से महापत्तनों के लिए कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी ऐसे मार्गदर्शी सिद्धांत अभिप्रेत हैं, जो केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जाएं ;
- (ङ) "कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व योजना" से महापत्तन द्वारा आरंभ किए जाने वाले क्रियाकलापों को सूचीबद्ध करने वाली योजना और उस पर व्यय अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत उक्त महापत्तन के कारबार के सामान्य अनुक्रम के अनुसरण में आरंभ किए गए क्रियाकलाप नहीं हैं ;

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं किए गए हैं, किंतु अधिनियम में परिभाषित किए गए हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके हैं।

3. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति—(1) प्रत्येक महापत्तन प्राधिकरण का बोर्ड, जो कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व मार्गदर्शी सिद्धांतों में यथा उपवर्णित पात्रता मानदंड को पूरा करता है, ऐसी रीति में और ऐसे व्यक्तियों से, जो उक्त मार्गदर्शी सिद्धांतों में विनिर्दिष्ट हो, मिलकर बनने वाली कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन करेगा :

परंतु महापत्तन प्राधिकरण के बोर्ड से, जो कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व मार्गदर्शी सिद्धांतों में उपवर्णित पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है या पूरा करने के लिए पात्र नहीं रह जाता है, इन नियमों का उस समय तक अनुपालन किए जाने की अपेक्षा नहीं की जाएगी, जब तक कि वह मानदंड पूरा नहीं कर लिया जाता है :

परंतु यह और कि महापत्तन प्राधिकरण के बोर्ड से, जो कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व मार्गदर्शी सिद्धांतों के मानदंडों को पूरा नहीं करता है, ऐसी अन्य अपेक्षाओं का पालन करने की अपेक्षा की जाएगी, जो कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व मार्गदर्शी सिद्धांतों में उपवर्णित हैं।

(2) कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का प्रत्येक सदस्य, जो किसी भी रूप में, चाहे स्वयं के द्वारा या अपने नातेदारों में से किसी नातेदार या फर्म, निगमित निकाय या व्यष्टियों के अन्य संगम के माध्यम से, जिसमें वह या उसके नातेदारों में से कोई नातेदार, किसी कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व योजना में सिफारिश किए गए या सिफारिश किए जाने वाली किसी कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व परियोजना में कार्यक्रम क्रियाकलाप से संबंधित है या उसमें हितबद्ध है, भागीदार, निदेशक या सदस्य है, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की बैठक में अपने सरोकार या हित की प्रकृति को प्रकट करेगा, जिसमें ऐसी कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व परियोजना, कार्यक्रम या क्रियाकलाप पर चर्चा की जाती है और ऐसी बैठक में भी तब भाग नहीं लेगा, जब ऐसी परियोजना, कार्यक्रम या क्रियाकलाप से संबंधित कार्यसूची पर चर्चा की जाती है :

परंतु जहां ऐसा कोई सदस्य, जिसका कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व योजना में ऐसे कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व परियोजना, कार्यक्रम या क्रियाकलाप की सिफारिश करने के समय इस प्रकार का संबंध नहीं है या वह उसमें हितबद्ध नहीं है, वहां वह यदि उक्त गंधर्व कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व परियोजना, कार्यक्रम या क्रियाकलाप की

सिफारिश किए जाने के पश्चात् उसका सरोकार होता है या वह हितबद्ध होता है, उसके उससे सरोकार होने या उसमें हितबद्ध होने पर या उसका उससे इस प्रकार सरोकार होने या उसमें हितबद्ध होने के पश्चात् हुई कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की पहली बैठक में तुरंत अपना सरोकार या हित प्रकट करेगा।

4. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व बजट और आवंटन—प्रत्येक महापत्तन प्राधिकरण का बोर्ड, जो कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व मार्गदर्शी सिद्धांतों में दिए गए पात्रता मानदंड को पूरा करता है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरंभ पर ऐसी रीति में, और ऐसे विस्तार तक, जो कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व मार्गदर्शी सिद्धांतों में विनिर्दिष्ट किए जाएं, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व बजट सृजित करेगा और कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व परियोजनाओं, कार्यक्रमों या क्रियाकलापों को निधियां आवंटित करेगा।

5. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति के कृत्य—कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति,—

- (क) कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व योजना तैयार करेगी और बोर्ड को उसकी सिफारिश करेगी, जो इन नियमों के अनुसार होगी ;
- (ख) कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व योजना में सम्मिलित क्रियाकलापों पर उपगत होने वाले व्यय की रकम की बोर्ड को सिफारिश करेगी ;
- (ग) कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व क्रियाकलापों को आवधिक रूप से मानीटर करेगी ;
- (घ) ऐसे कृत्यों का पालन करेगी, जो कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व मार्गदर्शी सिद्धांतों में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

6. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व योजना—कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व योजना में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, अर्थात् --

- (क) कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व परियोजनाओं, कार्यक्रमों या क्रियाकलापों, जिन्हें महापत्तन, नियम 3 के उपनियम (1) के खंड (ग) के कार्यक्षेत्र के भीतर आरंभ करने की योजना बनाती है, की सूची, जिसमें ऐसी परियोजनाओं या कार्यक्रमों के क्रियान्वयन तथा उनके लिए कार्यान्वयन अनुसूचियों के सिद्धांतों को विनिर्दिष्ट किया है ; और
- (ख) ऐसी परियोजनाओं या कार्यक्रमों के लिए प्रक्रिया को मानीटर करना :

परंतु कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व योजना में महापत्तन के कारबार के सामान्य अनुक्रम के अनुसरण में आरंभ किए गए क्रियाकलाप नहीं हैं।

(2) कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व योजना यह विनिर्दिष्ट करेगी कि कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व परियोजनाओं, कार्यक्रमों या क्रियाकलापों से उद्भूत होने वाला अशिक्षित महापत्तन के कारबार लाभ का भाग नहीं होगा।

7. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की बैठकें—(1) कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति, प्रत्येक वर्ष ऐसी संख्या में बैठकें करेगी, जो वह इन नियमों के अधीन अपने कृत्यों का पालन करने के लिए ठीक समझे।

(2) कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की बैठक में सदस्यों की सहभागिता या जो व्यक्तिगत रूप से या शिष्टियों कान्फ्रेंसिंग या अन्य श्रवण-दृश्य साधनों के माध्यम से हो सकेगी, जो सदस्यों की सहभागिता को अभिविखित या सामान्य उद्धारने तथा तारीख और समय के साथ ऐसी बैठकों की कार्यवाहियों की शिक्षात्मक तथा भंडारित करने में समर्थ है।

8. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नियोजन, कार्यान्वयन, वित्त पोषण, मानीटरी और रिपोर्टिंग—बोर्ड, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व परियोजनाओं, कार्यक्रमों या क्रियाकलापों की योजना बनाने, उनके कार्यान्वयन, वित्त पोषण, मानीटरी और रिपोर्टिंग संबंधी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा।

[फा. सं. पी.डी.-24015/21/2021-पी.डी.1]

विक्रम सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd November, 2021

GSR. 823(E).—In exercise of the powers conferred by clause (r) of sub-section (2) of section 71 of the Major Port Authorities Act, 2021 (1 of 2021), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title, commencement and application.—(1) These rules may be called the Major Port Authorities (Corporate Social Responsibility) Rules, 2021 (1 of 2021).

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(3) These rules shall apply to the Major Ports mentioned in sub-section (3) of section 1 of the Major Port Authorities Act 2021.

2. Definitions.— (1) In these rules, unless the context otherwise requires, -

- (a) "Act" means the Major Port Authorities Act, 2021 (1 of 2021);
- (b) "Corporate Social Responsibility" means and includes but is not limited to:-
- projects or programs relating to activities specified in section 70 of the Act; and
 - projects or programs relating to activities as specified in the Corporate Social Responsibility guidelines issued by the Central Government from time to time;
- (c) "Corporate Social Responsibility Committee" means the Corporate Social Responsibility Committee constituted by the Major Port;
- (d) "Corporate Social Responsibility Guidelines" means the guidelines on Corporate Social Responsibility for major ports that may be issued by the Central Government from time to time;
- (e) "Corporate Social Responsibility Plan" means the plan listing the activities to be undertaken by the Major Port and the expenditure thereon, excluding activities undertaken in pursuance of normal course of business of the said Major Port.

(2) Words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act, shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Corporate Social Responsibility Committee.— (1) The Board of each Major Port Authority that fulfills the eligibility criteria as set forth in the Corporate Social Responsibility guidelines shall constitute a Corporate Social Responsibility Committee in such manner and consisting of such persons as specified in the said guidelines.

Provided that the Board of the Major Port Authority which does not fulfill or ceases to fulfill the eligibility criteria set forth in the Corporate Social Responsibility guidelines shall not be required to comply with these rules, till such time that the criteria is met:

Provided further that the Board of the Major Port Authority which does not fulfill the criteria of the Corporate Social Responsibility guidelines may be required to adhere to such other requirements that are set forth within the Corporate Social Responsibility guidelines.

(2) Every member of the Corporate Social Responsibility Committee who is in any way, whether by himself or through any of his relatives or firm, body corporate or other association of individuals in which he or any of his relatives is a partner, director or a member, concerned or interested in any Corporate Social Responsibility project, program or activity recommended or to be recommended in the Corporate Social Responsibility Plan shall disclose the nature of his concern or interest at the meeting of the Corporate Social Responsibility committee, in which such

Corporate Social Responsibility project, program or activity is discussed or considered and shall also not participate in such meeting when the agenda relating to such project, program or activity is discussed:

Provided that where any member who is not so concerned or interested at the time of recommending such Corporate Social Responsibility project, program or activity in the Corporate Social Responsibility Plan, he shall, if he becomes concerned or interested after the Corporate Social Responsibility project, program or activity is recommended, disclose his concern or interest forthwith when he becomes concerned or interested or at the first meeting of the Corporate Social Responsibility committee held after he becomes so concerned or interested.

4. Corporate Social Responsibility budget and allocation.- The Board of each Major Port Authority that fulfills the eligibility criteria given in the Corporate Social Responsibility guidelines shall, at the beginning of each financial year, create a Corporate Social Responsibility budget and allocate funds to the Corporate Social Responsibility projects, programs or activities in such manner and to such extent as may be specified in the Corporate Social Responsibility guidelines.

5. Functions of Corporate Social Responsibility Committee.- The Corporate Social Responsibility Committee shall, -

- formulate and recommend to the Board, a Corporate Social Responsibility Plan which shall be in accordance with these rules;
- recommend to the Board the amount of expenditure to be incurred on the activities included in the Corporate Social Responsibility Plan;
- periodically monitor the Corporate Social Responsibility activities; and
- perform such other functions as may be specified in the Corporate Social Responsibility guidelines.

6. Corporate Social Responsibility Plan.- (1) The Corporate Social Responsibility Plan shall, inter-alia, include the following, namely:-

- a list of Corporate Social Responsibility projects, programs or activities which a Major Port plans to undertake falling within the purview of clause (c) of sub-rule (1) of rule 3, specifying modalities of execution of such projects or programs and implementation schedules for the same; and
- monitoring process for such projects or programs;

Provided that the Corporate Social Responsibility Plan shall not include the activities undertaken in pursuance of normal course of business of a Major Port.

(2) The Corporate Social Responsibility Plan shall specify that the surplus arising out of the Corporate Social Responsibility projects, programs or activities shall not form part of the business profit of the Major Port.

7. Meetings of Corporate Social Responsibility Committee.- (1) The Corporate Social Responsibility Committee shall hold such number of meetings every year as it may deem fit to perform its functions under these rules.

(2) The participation of members in a Corporate Social Responsibility Committee meeting may be either in person or through video conferencing or other audio visual means, which are capable of recording and recognising the participation of the members and of recording and storing the proceedings of such meetings along with date and time.

8. Corporate Social Responsibility planning, implementation, funding, monitoring and reporting.- The Board shall follow the procedure for planning, implementation, funding, monitoring and reporting of Corporate Social Responsibility projects, programs or activities in accordance with the Corporate Social Responsibility guidelines.

[F. No. PD-24015/21/2021-PD-1]

VIKRAM SINGH, Jt. Secy.

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23112021-231309
CG-DL-E-23112021-231309

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 6621
No. 6621

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 23, 2021/अग्रहायण 2, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 23, 2021/AGRAHAYANA 2, 1943

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

आधिरूचना

नई दिल्ली, 22 नवंबर, 2021

सा.का.नि. 821(अ).—केंद्रीय सरकार, महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 (2021 का 1) की धारा 25, धारा 43 की उपधारा (3) और धारा 71 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 22 की उपधारा (2) के पहले परंतु द्वारा प्रस्तुत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम महापत्तन प्राधिकरण (महा योजना और गैर-पत्तन से संबंधित आयुक्त के लिए निधियों का उपायोजन) नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं—(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 (2021 का 1) अभिप्रेत है;

(ख) "अनुसूची भूमि" से बोर्ड की या बोर्ड के कब्जे या अधिभोग की भूमि अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत नगरी के लिए पहचानी गई भूमि या मुद्रीकरण के माध्यम से बोर्ड द्वारा किसी अन्य राजस्व सृजन के कार्यक्रमों में शामिल की गई है;

(ग) "गैर-पत्तन से संबंधित उपयोग" से ऐसे उपयोग से भिन्न उपयोग अभिप्रेत हैं, जो पत्तन से संबंधित उपयोग से भिन्न हैं;

(2) उन शब्दों और पदों के, जो प्रयुक्त हैं और इन नियमों में परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, क्रमशः वही अर्थ होंगे, जो उनका अधिनियम में है।

3. बोर्ड द्वारा पत्तन आस्तियों का उपयोग—(1) प्रत्येक महापत्तन प्राधिकरण का बोर्ड उससे अनुलग्न भूमि का ऐसी रीति में और ऐसे प्रयोजनों के लिए उपयोग कर सकेगा, जो वह महापत्तन के फायदे के लिए उचित समझे।

(2) प्रत्येक महापत्तन प्राधिकरण के बोर्ड को पत्तन आस्तियों के उपयोग और विकास तथा उससे अनुलग्न भूमि के पत्तन से भिन्न उपयोग के लिए विनियम बनाने की शक्ति होगी और ऐसे विनियम किसी नगरपालिक, स्थानीय या राज्य सरकार के विनियमों से स्वतंत्र होंगे :

परंतु बोर्ड द्वारा बनाए गए ऐसे विनियम केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किसी नीति से असंगत नहीं होंगे।

4. बोर्ड द्वारा स्थावर संपत्ति का विक्रय, पट्टा और अर्जन—(1) बोर्ड द्वारा भूमि या स्थावर संपत्ति की संविदा या प्रबंधन या पट्टा या भूमि या स्थावर संपत्ति की अनुज्ञप्ति पत्तन से संबंधित और पत्तन से भिन्न उपयोग के लिए समय-समय पर इस निमित्त केंद्रीय सरकार द्वारा जारी नीति के अनुसार होगा।

(2) जहां कोई स्थावर संपत्ति विनिर्दिष्ट: भूमि का बोर्ड द्वारा महापत्तन प्राधिकरण के प्रयोजनों के लिए अर्जन या क्रय किया जाना है तो बोर्ड द्वारा ऐसी स्थावर संपत्ति का अर्जन अधिनियम की धारा 23 में परिकल्पित रीति में किया जाएगा। किसी अन्य स्थावर संपत्ति के लिए बोर्ड उसका अर्जन बोर्ड द्वारा इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा जारी नीति के अधीन रहते हुए अंगीकृत विनियमों के अनुसार किया जा सकेगा।

(3) जहां किसी महापत्तन की पत्तन सीमाओं के भीतर किसी भूमि की केंद्रीय सरकार द्वारा अपेक्षा है तब भी जब वह बोर्ड द्वारा बनाई गई महा योजना या अंगीकृत महा योजना का भाग हो, उसका अर्जन, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वासन में उचित प्रतिफल और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के उपबंधों या अन्य भूमि अर्जन विधियां या तत्समय प्रवृत्त केंद्रीय सरकार द्वारा जारी नीतियों के अनुसार होगा।

5. पत्तन आस्तियों का विकास—(1) प्रत्येक महापत्तन प्राधिकरण का बोर्ड पत्तन सीमाओं और उससे अनुलग्न भूमि, पत्तन आस्तियों में ऐसे सिविल ढांचे, भवन, जल विकास, सड़क, बाड, नलकूप, इंटेककूप, भंडारण सुविधाएं, भांडामार, पाउपलाइन, टेलीफोन लाइन, संचार टावर, विद्युत आपूर्ति, पारेषण लाइन और उपस्कर बनाने, विकास करने, संनिर्माण करने, खड़ा करने या निर्माण करने और ऐसे अन्य संकर्म और सुविधाएं जैसा कि बोर्ड पत्तन से संबंधित उपयोग, पत्तन विकास या राष्ट्रहित में वाणिज्य और व्यापार में सुधार करने के लिए आवश्यक समझे, का हकदार होगा, जिसके लिए राज्य प्राधिकारियों से कोई विनियामक अनुज्ञप्ति या अनुमोदन की तब तक अपेक्षा नहीं होगी, जब तक केंद्रीय सरकार द्वारा आज्ञापक न किया जाए।

(2) उपनियम (1) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रत्येक महापत्तन प्राधिकरण का बोर्ड पत्तन सीमाओं के भीतर और उससे अनुलग्न भूमि को परिवर्तित करने, विकसित करने, संनिर्माण करने, परिनिर्मित करने या निर्माण करने के लिए पत्तन आस्तियों को गैर पत्तन से संबंधित उपयोग करने के लिए इस निमित्त केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी नीति के अधीन रहते हुए हकदार होगा।

6. पत्तन आस्तियों के उपयोग और विकास से उद्भूत विवादों को सुलह और समझौता समिति को निर्दिष्ट करना—(1) इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर बोर्ड द्वारा पत्तन आस्तियों और उससे अनुलग्न भूमि के उपयोग और विकास के संबंध में किए गए किसी संविदा से उद्भूत विद्वमान या भावी विवाद, मतभेद या दावे को उपनियम (2) के अधीन बोर्ड द्वारा गठित समिति को सुलह के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा;

परंतु तत्कालीन महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के अधीन न्यासी बोर्ड द्वारा की गई किसी संविदा से संबंधित विवादों, मतभेदों या दावों और जो पहले से ही किसी न्यायालय या न्यायनिर्णायन प्राधिकरण के समक्ष लंबित हैं, को ऐसी समिति को तब तक निर्दिष्ट नहीं किया जाएगा जब तक कि समिति को ऐसा निदेश विवादकारी पक्षकारों द्वारा पारस्परिक सहमति से और संबंधित न्यायालय या न्यायनिर्णायन प्राधिकरण, जहां ऐसा विवाद, मतभेद या दावा लंबित है, की लिखित सहमति से न किया जाए।

(2) उपनियम (1) के अधीन किसी विवाद, मतभेद या दावे की सुलह के प्रयोजन के लिए बोर्ड एक सुलह और समझौता समिति का गठन करेगा और ऐसी समिति के कार्यकरण की प्रक्रिया और अन्य निबंधनों और शर्तों का इस निमित्त समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुमोदन करेगा।

(3) उपनियम (2) के अधीन गठित सुलह और समझौता समिति एक सौहार्द्रपूर्ण समझौता कराने के लिए मध्यकता करेगी और विवादकारी पक्षकारों की सहायता करेगी तथा वह विवादकारी पक्षकारों के बीच विवादों, मतभेदों या दावों के समझौते के लिए बोर्ड को अपनी सिफारिशें भी दे सकेगी।

7. पत्तन आस्तियों के उपयोग और विकास से उद्भूत विवादों का न्यायनिर्णयन बोर्ड को निर्देश- (1) यदि किसी विवाद, मतभेद या दावे में कोई पक्षकार नियम 7 के अधीन सुलह और समझौता समिति की उक्त समिति को की गई सिफारिशों से सहमत नहीं है या विवादकारी पक्षकारों के बीच समझौता नियम 7 के अधीन सुलह कार्यवाहियों के पश्चात् असफल हो जाता है, तो ऐसा पक्षकार ऐसे विवाद, मतभेद या दावे को न्यायनिर्णयन बोर्ड को न्यायनिर्णयन के लिए निर्दिष्ट कर सकेगा:

परंतु निम्नलिखित मामलों को न्यायनिर्णयन के लिए न्यायनिर्णायक बोर्ड को निर्दिष्ट नहीं किया जाएगा :

(क) तत्कालीन महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के अधीन न्यासी बोर्ड द्वारा की गई किसी संविदा के संबंध में विवाद, दावा या विधि कार्यवाहियां, जो पहले से ही किसी न्यायालय या न्यायनिर्णयन प्राधिकरण के समक्ष लंबित हैं; और

(ख) महापत्तन प्राधिकरण की किसी स्थावर संपत्ति के विक्रय और अर्जन से संबंधित मामले।

(2) उपनियम (1) के अधीन निर्देश, महापत्तन (न्यायनिर्णयन बोर्ड) नियम, 2021 में विहित प्रक्रिया के अनुसार विधि आवेदन को भरकर न्यायनिर्णयन बोर्ड को किया जाएगा।

8. महा योजना—(1) प्रत्येक महापत्तन प्राधिकरण का बोर्ड विनिर्दिष्ट महायोजन सृजित करने का हकदार होगा, जिसके अंतर्गत पत्तन सीमाओं या उससे अनुलग्न भूमि के भीतर स्थापित होने के लिए किसी विकास या स्थापित या प्रस्तावित अयमंरचना के संबंध में योजना के व्ययों के लिए भूमि भी सम्मिलित है :

परंतु बोर्ड द्वारा बनाई गई ऐसी कोई महा योजना इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए किन्हीं नियमों या नीति से असंगत नहीं होगी।

(2) प्रत्येक महा योजना को दस वर्ष की अवधि के लिए तैयार किया जाएगा और वह गैर-पत्तन से संबंधित और पत्तन से संबंधित उपयोग को विद्यमान पत्तन आस्तियों और उससे अनुलग्न भूमि के साथ महा योजना के अधीन विकास प्रस्तावित है को तैयार करेगी :

परंतु बोर्ड ऐसी महा योजना का कारणों को लेखबद्ध करते हुए दस वर्ष की अवधि के दौरान किसी भी समय पूर्णव्योक्तन और उपांतरण करने का हकदार होगा।

(3) उपनियम (1) के अधीन बोर्ड द्वारा तैयार की गई महा योजना किसी राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण विनियमों से स्वतंत्र होगी और बोर्ड द्वारा तैयार की गई महा योजना और राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण की मास्टर योजना के बीच विभेद होता है तो बोर्ड द्वारा तैयार की गई महा योजना अविभावी होगी:

परंतु कोई भावी महा योजना उक्त महा योजना की अधिसूचना से पूर्व बोर्ड द्वारा निष्पादित विद्यमान संविदाओं का उन संविदाओं के संबंध में अधिग्रहण नहीं करेगी जिनकी बाबत बोर्ड से संबंधित राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण को अनुमोदन अभिप्राप्त करने की अपेक्षा है या अनुमोदन पहले ही अभिप्राप्त कर लिया गया है।

9. गैर-पत्तन से संबंधित उपयोग के लिए प्राप्त धन का उपयोग- बोर्ड द्वारा या उसके निमित्त गैर-पत्तन से संबंधित उपयोग के लिए प्राप्त धन को किसी पदाभिवृद्धि खाते में जमा किया जाएगा और बोर्ड द्वारा उसका उपयोग पूंजी विनिधान या ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए किया जाएगा जो बोर्ड ठीक और उचित समझे:

परंतु गैर-पत्तन से संबंधित उपयोग के लिए प्राप्त धन का उपयोग करने के लिए बोर्ड ऐसे दिशा-निर्देशों का अनुसरण करेगा जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त समय-समय पर जारी करे।

[फा. सं.पीडी-2-015/21/2021-पीडी-1]

विक्रम सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd November, 2021

GSR. 821(E).—In exercise of the powers conferred by first proviso to sub-section (2) of section 22, read with section 25, sub-section (3) of section 43, sub-section (1) of section 71 of the Major Port Authorities Act, 2021 (1 of 2021), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Major Port Authorities (Master Plan and Application of Funds from Non Port related Use) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**— (1) In these rules, unless the context otherwise requires:—

(a) “Act” means the Major Port Authorities Act, 2021 (1 of 2021);

(b) “land appurtenant” means the land belonging to or in the possession or occupation of the Board and includes the land identified for township or for any other revenue generation activity by the Board through monetisation;

(c) “non port related use” mean any use other than those undertaken for port related use;

(2) Words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. **Usage of port assets by the Board.**— (1) The Board of each Major Port Authority may use the land appurtenant thereto in such manner and for such purposes as it may deem fit for the benefit of the Major Port.

(2) The Board of each Major Port Authority shall have the power to make regulations for usage and development of port assets and the land appurtenant thereto for port related use and non port related use and such regulations shall be independent of any municipal, local or State Government regulations:

Provided that any such regulations made by the Board shall not be inconsistent with any policy issued by the Central Government in that regard.

4. **Sale, Lease and Acquisition of immovable property by the Board.**— (1) The contract or arrangement by the Board for sale of land or immovable property or for lease or license of land or immovable property for port related use and non port related use shall be in accordance with the policy issued by the Central Government in this behalf from time to time.

(2) Where any immovable property, more specifically land, is to be required or purchased by the Board for the purposes of the Major Port Authority, the acquisition of such immovable property by the Board shall be undertaken in the manner stipulated in section 23 of the Act. For any other immovable property, the Board may acquire the same in accordance with the regulations adopted by the Board, subject to the policy issued by the Central Government in that regard.

(3) Where any land within the port limits of a Major Port is required by the Central Government even though the same may be part of a master plan made or adopted by the Board, the acquisition thereof shall take place in accordance with the provisions of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and

Resettlement Act, 2013 or any other land acquisition laws or policy issued by the Central Government for the time being in force.

5. Development of port assets.— (1) The Board of each Major Port Authority shall be entitled to make, develop, construct, erect or build within the port limits and the land appurtenant thereto, port assets such as civil structures, buildings, drains, roads, fences, tube-wells, in-take wells, storage facilities, warehouses, pipelines, telephone lines, communication towers, electricity supply, transmission lines and equipment and such other works and conveniences as the Board may think fit and proper for port related use, port development or improving commerce and trade in national interest, for which no regulatory license or approval from the State authorities shall be required, unless so mandated by the Central Government.

(2) Without prejudice to sub-rule (1), the Board of each Major Port Authority shall be entitled to convert, develop, construct, erect or build within the port limits and the land appurtenant thereto, port assets for non-port related use, subject to the policy issued by the Central Government in this behalf from time to time.

6. Reference of disputes arising from usage and development of port assets to Conciliation and Settlement Committee.— (1) Upon commencement of the Act, any existing or future dispute, difference or claim arising out of any contract entered into by the Board in relation to the usage and development of port assets and the land appurtenant thereto shall be referred for conciliation by a committee set up by the Board under sub-rule (2):

Provided that the disputes, differences or claims relating to any contract entered into by the Board of Trustees under the erstwhile Major Port Trusts Act, 1963 and already pending before any court or adjudicating authority shall not be referred to such committee, unless such reference is made to the committee by the mutual consent of the disputing parties and upon prior written approval of the concerned court or adjudicating authority where such dispute, difference or claim is pending.

(2) For the purpose of conciliation of any dispute, difference or claim under sub-rule (1), the Board shall constitute a Conciliation and Settlement Committee and approve the procedure for the functioning and other terms and conditions of such Committee, in accordance with the guidelines issued in this behalf by the Central Government from time to time.

(3) The Conciliation and Settlement Committee constituted under sub-rule (2) shall mediate and assist the disputing parties in arriving at an amicable settlement and may also give its recommendations for settlement of the dispute, difference or claim between the disputing parties to the Board.

7. Reference of disputes arising from usage and development of port assets to Adjudicatory Board.— (1) In the event any party to the dispute, difference or claim referred to the Conciliation and Settlement Committee under rule 7 is not satisfied with the recommendations made by the said Committee or the settlement between the disputing parties fails to conclude after the conciliation proceedings under rule 7, then such party may refer such dispute, difference or claim for adjudication to the Adjudicatory Board:

Provided that the following matters shall not be referred for adjudication by the Adjudicatory Board:

- (a) disputes, claims or legal proceedings relating to any contract entered into by the Board of Trustees under the erstwhile Major Port Trusts Act, 1963 and already pending before any court or adjudicating authority; and
- (b) matters relating to sale of and acquisition of, any immovable property of the Major Port Authority.

(2) The reference under sub-rule (1) shall be made to the Adjudicatory Board by filing an application in accordance with the procedure prescribed in the Major Ports (Adjudicatory Board) Rules, 2021.

8. Master plan.— (1) The Board of each Major Port Authority shall be entitled to create specific master plan including the land use plan in respect of any development or infrastructure established or proposed to be established within the port limits and the land appurtenant thereto:

Provided any such master plan made by the Board shall not be inconsistent with any rules or policy issued by the Central Government in that regard.

(2) Each master plan shall be prepared for a period of ten years and shall demarcate the port related use and non-port related use in respect of the existing port assets and the land appurtenant thereto as well as those proposed to be developed under the master plan.

Provided that the Board shall be entitled to review and modify such master plan at any time during the currency of the ten year period for reasons to be recorded in writing.

(3) The master plan prepared by the Board under sub-rule (1) shall be independent of any State Government or local authority regulations and in case of any conflict between the master plan made by the Board and the master plan of the State Government or any local authority, the master plan made by the Board shall prevail.

Provided that no prospective master plan shall supersede the existing contracts executed by the Board prior to the notification of the said master plan in respect of which the Board was otherwise required to obtain or has already obtained the approval of the concerned State Government or the local authority.

9. **Application of money received from non-port related use.**— The money received by or on behalf of the Board from non-port related use shall be credited to a designated account and shall be applied by the Board for capital investment or such other purposes as the Board may deem fit and proper:

Provided that in application of money received from non-port related use, the Board shall follow such guidelines as may be issued by the Central Government in this behalf from time to time.

[F. No. PD-24015/21/2021-PD-I]

VIKRAM SINGH, Jr. Secy.


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23112021-231308
CG-DL-E-23112021-231308

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 666]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 23, 2021/अग्रहायण 2, 1943

No. 666]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 23, 2021/AGRHAAYANA 2, 1943

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 2021

सा.का.नि. 825(अ).—केंद्रीय सरकार, महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 (2021 का 1) की धारा 40 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 71 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ — (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम महापत्तन प्राधिकरण (निक्षेप निधि में धन उपयोजन) नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :- इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, अर्थात्:-

(क) "अधिनियम" से महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 (2021 का 1) अभिप्रेत है;

(ख) "नियत दिन" से वह दिन अभिप्रेत है जिसको अधिनियम, प्रवृत्त होता है;

(ग) "निक्षेप निधि" से अधिनियम की धारा 40 की उपधारा (1) के अधीन उसके ऋणों के समापन या बोर्ड की

सेवा हेतु पृथक रखी गई राशि या राशियां, जिसके अंतर्गत अधिनियम की धारा 40 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी निक्षेप निधि का भाग बनने वाली राशियां भी हैं, अभिप्रेत हैं।

(2) उन शब्दों और पदों को जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होंगे जो उनके उस अधिनियम में है।

3. निक्षेप निधि को अभिदाय — अधिनियम की धारा 40 की उपधारा (1) के अधीन निक्षेप निधि के रूप में बोर्ड द्वारा पृथक रखी गई राशि या राशियां मासिक, तिमाही, अर्द्धवार्षिक या वार्षिक आधार पर पृथक रखी जाएंगी।

4. निक्षेप निधि का उपयोग — बोर्ड, अधिनियम के प्रयोजनों के लिए न्यास में निक्षेप निधि रखेगा और उसकी निधियां लोक प्रतिभूतियों में या ऐसी अन्य प्रतिभूतियों या विनिधान विकल्पों जो समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किए जा सकेंगे, निक्षेप किया जाएगा।

5. निक्षेप निधि की परीक्षा — (1) किसी ऋण के समापन हेतु स्थापित निक्षेप निधि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक या ऐसा अन्य व्यक्ति जो इस निमित्त उसकी ओर से नियुक्त किया जा सके, द्वारा वार्षिक परीक्षा की शर्त के अधीन होगा।

(2) भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक या उसके द्वारा उपनियम (1) के अधीन निक्षेप निधि की परीक्षा के संबंध में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति यह सुनिश्चित करेगा कि निक्षेप निधि में जमा प्रतिभूतियों का चालू बाजार मूल्य और नकद नियमित रूप से किए गए विनिधान द्वारा संक्षिप्त रकम के वस्तुतः बराबर है और उस पर मूलतः प्राकशित व्याज की दर अभिप्राप्त की गई थी।

(3) बोर्ड निक्षेप निधि या निधियों की वार्षिक परीक्षा संचालन हेतु उपनियम (1) के अधीन भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा अधिप्रमाणित कम रकम का संदाय तुरंत निक्षेप निधि में करेगा।

(4) यदि निक्षेप निधि में जमा प्रतिभूतियों का चालू बाजार मूल्य और नकद उस रकम से अधिक है जो उसके श्वांत में जमा होना चाहिए था, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक या उपनियम (1) के अधीन उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति इस अधिक रकम का अधिप्रमाणन करेगा और बोर्ड, --

(क) नियम 5 के अधीन विनिधान की गई अधिप्रमाणित अधिक संपूर्ण रकम या उसके किसी भाग को अंतरित कर सकेगा या बोर्ड को अपेक्षित चालू बाजार मूल्य की प्रतिभूतियों को तुरंत अंतरित कर सकेगा या बोर्ड को अपेक्षित वर्तमान बाजार मूल्य की प्रतिभूतियां और नकद अंतरित करेगा; या

(ख) अधिनियम या इन नियमों के अधीन निक्षेप निधि में मासिक या तिमाही या अर्द्धवार्षिक या वार्षिक अभिदायों को बंद या कटौती कर सकेगा; या

(ग) इन नियमों के किसी समूह को अपनाएगा।

[पत्र. सं. पीडी-24015/21/2021-पीडी-1]

विक्रम सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd November, 2021

GSR. 825(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 40 read with sub-section (1) of section 71 of the Major Port Authorities Act, 2021 (1 of 2021), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Major Port Authorities (Application of Money in Sinking Fund) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

- (a) “Act” means the Major Port Authorities Act, 2021 (1 of 2021);
- (b) “appointed day” means the date on which the Act comes into force;
- (c) “sinking fund” means the sum or sums set apart by the Board to service or liquidate its loans under sub-section (1) of section 40 of the Act and include the sums forming part of any sinking fund referred to in sub-section (2) of section 40 of the Act;

(2) Words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act, shall have the meaning respectively assigned to them in the Act.

3. **Contribution to sinking fund.**— The sum or sums to be set apart by the Board as sinking fund under sub-section (1) of section 40 of the Act shall be set apart on a monthly, quarterly, half-yearly or annual basis.

4. **Utilisation of sinking fund.**— The Board shall hold the sinking fund in trust for the purposes of the Act and the funds thereof shall be invested in public securities or in such other securities or investment options as the Central Government may approve from time to time.

5. **Examination of sinking fund.**— (1) The sinking fund established for the liquidation of any loan shall be subject to annual examination by the Comptroller and Auditor General of India or such other person as may be appointed by him in this behalf.

(2) The Comptroller and Auditor General of India or any person appointed by him in connection with the examination of sinking fund under sub-rule (1) shall ascertain whether the cash and current market value of the securities at the credit of the sinking fund are actually equal to the amount which would have been accumulated had investment been regularly made and had the rate of interest as originally estimated been obtained thereon.

(3) The Board shall pay forthwith into the sinking fund any amount which the Comptroller and Auditor General of India or any person appointed by him under sub-rule (1) to conduct the annual examination of the sinking fund or funds may certify to be deficient.

(4) If the cash and the current market value of the securities at the credit of the sinking fund is in excess of the amount which should be at its credit, the Comptroller and Auditor General of India or any person appointed by him under sub-rule (1) shall certify the amount of this excess, and the Board may

- (a) withdraw the whole or any part of the certified excess amount invested under rule 5, shall forthwith transfer securities of the requisite current market value, or cash and securities of the requisite current market value, to the Board; or
- (b) reduce or discontinue the monthly or quarterly or half yearly or yearly contributions to the sinking fund under the Act and these rules; or
- (c) adopt a combination of these measures.

[F. No. PD-24015/21/2021-I-D-I]

VIKRAM SINGH, Jr. Secy.

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23112021-231312
CG-DL-E-23112021-231312

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 6651

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 23, 2021/अग्रहायण 2, 1943

N... 6651

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 23, 2021/AGRAHAYANA 2, 1943

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 2021

सा.का.नि. 824(अ).—केंद्रीय सरकार, महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 (2021 का 1) की धारा 71 की उपधारा (2) के खंड (च) के साथ पठित धारा 27 की उपधारा (1) के पहले परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम महापत्तन प्राधिकरण (दरों, फीस के परिमाण और शर्तों का नियतन और कार्यान्वयन) नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं - (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों, -

(क) "अधिनियम" से महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 (2021 का 1) अभिप्रेत है

(ख) "शेखाओं" से निम्नलिखित अभिप्रेत है और इसके अन्वयगत है

(i) महापत्तन या महापत्तन पहुंच में जलयानों के बीच यात्रियों या मालों का अन्तर्गत पोत परिवहन;

(ii) बोर्ड के या उसके कब्जे या अधिभोग में अथवा महापत्तन या महापत्तन पहुंच की सीमाओं के अन्दर

किसी स्थान पर यात्रियों या मालों की ऐसे जलयानों को या घाट, जहाजी घाट, जेटी, पोतघाट, डोक, गोदी, नौबंद, मंच या उत्पादन को उतरायी और पोत परिवहन;

- (iii) ऐसे किसी स्थान पर मालों की क्रेनेज या पोटर्रेज;
- (iv) ऐसे किसी स्थान पर कार्गो, आधान का हथालन या भंडारण;
- (v) पत्तन आस्तियों, पत्तन सीमाओं या महापत्तन पहुंच के भीतर लाए गए माल को प्राप्त करना, हटाना, अन्तरित करना, परिवहन करना, भंडारण करना या परिदान करना;
- (vi) महापत्तन या महापत्तन पहुंच की सीमाओं के भीतर रेल या अन्य साधनों से यात्रियों को ले जाना;
- (vii) रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) के अधीन रेल प्रशासन के रूप में महापत्तन में जलयानों में उद्गम होने वाले तथा निकटवर्ती रेल मार्ग द्वारा या विपर्ययेन ले जाने के लिए माल को प्राप्त करना और परिदान करना, परिवहन करना तथा बुक और प्रेषण करना;
- (viii) जलयानों अथवा जलयानों के संबंध में किसी अन्य सेवा की जहाजरानी, खिंचाई, लंगरगाह, गोदी, अन्तरण, कर्षण, नौबंद, पुनःनौबंद, अंकुश या मापन;
- (ix) महापत्तन के लिए अवसंरचना सुविधाओं का विकास और उन्हें प्रदान करना;
- (x) किसी भी रीति में उनसे संबद्ध पत्तन सागर खंड, पत्तन हस्तियों और भूमि का उपयोग जिसके अन्तर्गत वाणिज्यिक या प्रचालन प्रयोजनों के लिए उपयोग भी है;
- (xi) जलयानों, यात्रियों या माल के संबंध में कोई अन्य सेवा, जिसके अन्तर्गत महापत्तन के प्रचाल में की अनुषंगी सेवाएं भी हैं।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए किन्तु अधिनियम में परिभाषित किए गए शब्दों और पदों के बर्ती अर्थ होंगे जो क्रमशः उनके अधिनियम में हैं।

3. महापत्तन पर उपलब्ध आस्तियों और सेवाओं के लिए दरों के परिमाण - (1) प्रत्येक महापत्तन प्राधिकरण का बोर्ड समय-समय पर, दरों के परिमाण और शर्तों का कथन विरचित करेगा जो निम्नलिखित के लिए लागू होंगे -

- (क) सेवाएं जो महापत्तन या महापत्तन पहुंच पर या उनके संबंध में बोर्ड द्वारा निष्पादित की जाएंगी या उपलब्ध करवायी जाएंगी;
- (ख) बोर्ड की या उसके कब्जे या अधिभोग में अथवा पत्तन की सीमाओं के भीतर किसी स्थान पर या महापत्तन पहुंच में पत्तन आस्तियों तक पहुंच या उपयोग अनुज्ञात करना;
- (ग) महापत्तन पर या पत्तन की सीमाओं के भीतर कोई अन्य राजस्व सृजन करने वाला क्रियाकलाप या प्रचालन।

(2) उपनियम (1) के अधीन क्रियाकलापों के भीतर विभिन्न प्रवर्गों या वर्गों के लिए बोर्ड द्वारा भिन्न-भिन्न परिमाण और शर्तों विरचित की जा सकेंगी।

(3) बोर्ड, समय-समय पर सेवा या सेवाओं के किसी संयोजन के लिए उपयुक्त से या बोर्ड की या उसके कब्जे या अधिभोग में किसी पत्तन आस्ति का उपयोग करने के लिए अनुज्ञा हेतु दरों का समेकित परिमाण विरचित कर सकेंगा।

(4) उपनियम (1) के अधीन विरचित दरों के परिमाण तथा शर्तों का कथन अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व दिए गए प्राधिकृत प्राइवेट भागीदारी परियोजनाओं या ऐसे पब्लिक प्राइवेट भागीदारी परियोजनाओं के परिमाण के पुनरीक्षण के लिए लागू नहीं होंगे, जिनके लिए सरकार से पृथक् निदेश लागू होंगे।

4. दरों, फीस के परिमाण तथा शर्तों के अवधारण हेतु समिति गठित करने की बोर्ड की शक्ति - (1) बोर्ड नियम (3) के अधीन दरों, फीस के परिमाण और शर्तों के अवधारण के प्रयोजन के लिए समिति का गठन कर सकेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन बोर्ड द्वारा गठित प्रत्येक समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(क) बोर्ड का एक सदस्य जो समिति का अध्यक्ष होगा;

(ख) महापत्तन में वित्त प्रमुख और

(ग) महापत्तन में विभाग प्रमुख की रैंक से अन्यून महापत्तन के दो से अन्यून और चार से अधिक ज्येष्ठ पदधारी।

(3) उपनियम (1) के अधीन बोर्ड द्वारा गठित प्रत्येक समिति का कार्यकाल उस तारीख से जिसको इसका गठन किया गया है, तीन वर्ष होगा :

परन्तु बोर्ड, किसी भी समय ऐसे सदस्य की मृत्यु, बीमारी, क्षति, निर्योग्यता या सेवानिवृत्ति से संबंधित कारणों की वजह से या किसी अन्य कारण से जिसे बोर्ड ठीक और उचित समझे, किसी अन्य अर्ह व्यक्ति से समिति के सदस्य को बदल सकेगा।

(4) उपनियम (1) के अधीन गठित समिति ऐसे समय और ऐसे स्थानों पर बैठक करेगी तथा इसकी बैठकों में, जिसके अन्तर्गत गणपूर्ति भी है, कारवार के संव्यवहार के संबंध में ऐसे विनियमों का पालन करेगी जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(5) बोर्ड उपनियम (1) के अधीन गठित समिति को नियम 3 के अधीन दरों के परिमाण और शर्तों के अवधारण के लिए ऐसे विशेषज्ञों, वृत्तिकों या महापत्तन के अन्य अधिकारियों (विभाग के प्रमुख की रैंक से अन्यून) से परामर्श करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा जो बोर्ड ऐसी शर्तों के साथ जो वह ठीक और उचित समझे, लिखित में आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

5. बोर्ड द्वारा गठित समिति के कृत्य - (1) नियम 4 के उपनियम (1) के अधीन बोर्ड द्वारा गठित समिति ऐसी अवधि के भीतर और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, नियम 3 के अधीन दरों, फीस के परिमाण तथा शर्तों के अवधारण करेगी तथा अपनी सिफारिशों को लिखित में बोर्ड को अनुमोदन के लिए भेजेगी।

(2) दरों, फीस के परिमाण और शर्तों का अवधारण संबंधित समिति द्वारा निम्नलिखित कारणों पर विचार करने के पश्चात् किया जाएगा :

(क) उस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांत या निदेश;

(ख) बाजार की स्थितियां तथा प्रतिस्पर्धात्मक कीमत निर्धारण; और

(ग) पणधारियों से प्राप्त प्रतिपुष्टि।

(3) उपनियम (2) के अधीन रहते हुए, उपनियम (1) के अधीन की गई सिफारिशें समिति द्वारा दरों, फीस के परिमाण और शर्तों के अवधारण में अनुप्रयुक्त कार्यपद्धति, मानदंडों और प्रक्रियाओं को स्पष्ट रूप से समझाएंगी।

(4) नियम 4 के उपनियम (1) के अधीन बोर्ड द्वारा गठित समिति इन नियमों के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन सम्यक् साधधानी से करेगी।

6. बोर्ड द्वारा दरों के परिमाण का अनुमोदन, नियतन और प्रकाशन - (1) नियम 5 के उपनियम (1) के अधीन समिति या समितियों द्वारा की गई सिफारिशों की प्राप्ति पर, बोर्ड परिवर्तनों के साथ या उनके बिना ऐसी सिफारिशों का अनुमोदन कर सकेगा और तदनुसार नियम 3 में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए दरों, फीस के परिमाण तथा शर्तों को नियत और विरहित कर सकेगा।

परन्तु समिति या समितियों द्वारा की गई सिफारिशों से किसी विचलन के लिए कारण बोर्ड द्वारा लिखित में लेखबद्ध किए जाएंगे :

परन्तु यह और कि इन नियमों के अधीन बोर्ड द्वारा दरों, फीस के परिमाण और शर्तों का नियतन और कार्यान्वयन—

- (क) भूतलक्षी प्रभाव से नहीं होगा; और
- (ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों या निदेशों के अल्पीकरण में नहीं होगा; और
- (ग) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों से असंगत नहीं होगा; और
- (घ) बाजार दशाओं, प्रतिस्पर्धात्मक कीमत निर्धारण के मूल्यांकन तथा पणधारियों से प्राप्त प्रतिपुष्टि के पश्चात् नियत किया जाएगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन बोर्ड द्वारा नियत किए गए दरों, फीसों के परिमाण और शर्तों राज्य के राजपत्र में बोर्ड द्वारा प्रकाशित किए जाएंगे और वे ऐसी तारीख से प्रवृत्त होंगे जो बोर्ड द्वारा उक्त राजपत्र में अधिसूचित की जाए।

(3) उपनियम (1) के अधीन बोर्ड द्वारा नियत किए गए दरों, फीसों के परिमाण और शर्तों उपनियम (2) में उल्लिखित राज्य के राजपत्र में उनकी अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध रहेंगे।

7. दरों के प्रथम परिमाण को नियत करना — बोर्ड, अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से एक सौ अस्सी दिन की अवधि के भीतर दरों, फीसों के प्रथम परिमाण तथा शर्तों नियत और प्रकाशित करेगा अथवा ऐसे दरों, फीसों के परिमाण तथा शर्तों को अंगीकार करेगा जो अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व विद्यमान थे।

8. दरों या प्रभारों के परिमाण से छूट और विप्रेषण — बोर्ड, विशेष मामलों में तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो वह समय-समय पर नियत करे तथा लिखित में लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से या तो पूर्णतया या भागतः अधिनियम के अधीन प्रवृत्त दर या प्रभार के किन्हीं परिमाण के अनुसार उनके संबंध में उद्ग्रहणीय किसी दर या किसी प्रभार के संदाय से किसी माल, सेवाओं या जलयानों या मान, सेवाओं या जलयानों के वर्ग को छूट दे सकेगा अथवा इस प्रकार उद्ग्रहीत ऐसी दर या प्रभार को पूर्णतः या उसके किसी भाग को विप्रेषित कर सकेगा।

9. दरों, फीसों के परिमाण तथा शर्तों का पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण — (1) दरों, फीसों के परिमाण और शर्तों के पुनरीक्षण की प्रक्रिया क्रमशः उनकी अवसान की तारीख के कम-से-कम तीन मास पहले बोर्ड द्वारा आरम्भ की जाएगी।

परन्तु यदि बोर्ड यथापूर्वोक्त पुनरीक्षण करने में असमर्थ है तो बोर्ड, लागू अंतिम दरों, फीसों के परिमाण और शर्तों का छह मास में अनधिक ऐसी अवधि के लिए विस्तारित करेगा तथा लिखित में ऐसे विस्तार के कारण लेखबद्ध करेगा।

(2) उपनियम (1) पर प्रतिकूल प्रभाव डालने बिना, बोर्ड महापत्तन के कारवार तथा वित्तीय निष्पादन के आधार पर इन नियमों के अधीन नियत दरों, फीस के परिमाण तथा शर्तों का वार्षिक पुनर्विलोकन कर सकेगा तथा यदि वह आवश्यक समझे तो उस प्रभाव हेतु सुधारात्मक कार्रवाई कर सकेगा।

(3) विधि में परिवर्तन होने की स्थिति में जिसके परिणामस्वरूप इन नियमों के अधीन बोर्ड द्वारा अंगीकृत या प्रकाशित किन्हीं दरों, फीसों के परिमाण या शर्तों में पुनरीक्षण होता है तो, यथास्थिति, पुनरीक्षित दरों, फीसों के परिमाण या शर्तों को बोर्ड द्वारा अंगीकृत और कार्यान्वयन के लिए अधिसूचित किया जाएगा।

10. फतिपय मामलों में रियायती दरें उद्ग्रहीत करने की शक्ति — (1) इन नियमों के किन्हीं पूर्वगामी उपबंधों के अधीन दरों का परिमाण विरचित करने में बोर्ड निम्नलिखित किन्हीं परिस्थितियों में रियायती दर विहित कर सकेगा:

- (क) यदि यह राष्ट्रीय हित या आकांक्षिकता का विषय है जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित किया जाए;
- (ख) यदि केन्द्रीय सरकार ने उस प्रभाव या आदेश लिखित में किया है; या

(ग) यदि यह उस राज्य के लिए जहां महापत्तन स्थित है, सामाजिक महत्व का विषय है; या

(घ) यदि यह बाजार की दशाओं या प्रतिस्पर्धात्मक कीमतों के कारण वांछित है।

(2) उपनियम (1) के अधीन रियायती दर विहित करने में बोर्ड इसके समक्ष रखे गए रियायत के लिए प्रस्ताव, यदि कोई हो, पर विचार करेगा तथा रियायती दर विहित करने, इसकी वैधता और ऐसी शर्तें जो ऐसी रियायती दर का फायदा लेने में पूर्ण की जाएंगी, के लिए लिखित में कारण लेखबद्ध करेगा।

11. केन्द्रीय सरकार की दरों के परिमाण के उपांतरण या रद्दकरण की अपेक्षा करने की शक्ति - (1) जब कभी केन्द्रीय सरकार लोक हित में ऐसा करना आवश्यक समझे, तो वह कारणों के कथन के साथ लिखित में आदेश द्वारा ऐसी अवधि के भीतर जैसा वह सरकार आदेश में विनिर्दिष्ट करे, तथा बोर्ड को प्रवृत्त दरों के परिमाण को रद्द करने या उसमें उपांतरण करने के लिए निदेश दे सकेगी।

(2) यदि बोर्ड विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उपनियम (1) के अधीन निदेश का पालन करने में असफल रहता है या उसकी अवहेलना करता है, तो केन्द्रीय सरकार दरों के ऐसे किसी परिमाण को रद्द कर सकेगी या उसमें ऐसे उपांतरण कर सकेगी जो वह ठीक समझे:

परन्तु दरों के किसी परिमाण के ऐसे रद्द या उपांतरित करने के पूर्व केन्द्रीय सरकार किसी आक्षेप या सुझाव पर विचार करेगी जो विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर बोर्ड द्वारा किया जाए।

(3) यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा उपनियम (2) के अधीन दरों का कोई परिमाण रद्द या उपांतरित किया गया है तो ऐसा रद्दकरण या उपांतरण केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा तथा उसका तदनुसार प्रभाव होगा।

12. प्रकीर्ण - (1) बोर्ड का अध्यक्ष किसी भी समिति की बैठक में प्रदेन सदस्य के रूप में उपस्थित हो सकेगा और जब कभी अध्यक्ष किसी समिति की बैठक में उपस्थित होता है तो वह उस बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(2) बोर्ड के अध्यक्ष या उसके द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से प्राधिकृत व्यक्ति से भिन्न कोई समिति सदस्य समिति की बैठकों में किए गए विनिश्चय से संबंधित विषयों पर प्रैस या किसी अन्य पब्लिक मीडिया को सूचना नहीं देगा।

[फा. सं.पीडी-24015/21/2021-पीडी-1]]

विक्रम सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd November, 2021

GSR, 824 (E).—In exercise of the powers conferred by first proviso to sub-section (1) of section 27 read with clause (f) of sub-section (2) of section 71 of the Major Port Authorities Act, 2021 (1 of 2021), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Major Port Authorities (Fixation and Implementation of Scale of Rates, Fees and Conditions) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. (1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Major Port Authorities Act, 2021 (1 of 2021);

(b) "services" shall mean and include the following services:

(i) transhipping of passengers or goods between vessels in the major port or major port approaches;

(ii) landing and shipping of passengers or goods from or to such vessels to or from any wharf, quay, jetty, pier, dock, berth, mooring, stage or erection, land or building belonging to or in the

possession or occupation of the Board or at any place within the limits of the major port or major port approaches;

- (iii) cramage or portorage of goods on any such place;
- (iv) cargo, container handling or storage on any such place;
- (v) receiving, removing, shifting, transporting, storing or delivering goods brought within the port assets, port limits or major port approaches;
- (vi) carrying passengers by rail or by other means within the limits of the major port or major port approaches;
- (vii) receiving and delivering, transporting and booking and despatching goods originating in the vessels in the major port and intended for carriage by the neighbouring railways, or vice versa, as a railway administration under the Railways Act, 1989 (24 of 1989);
- (viii) piloting, towage, anchorage, berthing, shifting, hauling, mooring, re-mooring, hooking or measuring of vessels or any other service in respect of vessels;
- (ix) developing and providing infrastructure facilities for major port;
- (x) use of port waters, port assets and land appurtenant thereto in any manner including for commercial or operational purposes;
- (xi) any other service in respect of vessels, passengers or goods including services ancillary to the operations of the major port.

(2) Words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Scale of rates for assets and services available at major port.—(1) The Board of each Major Port Authority may from time to time, frame a scale of rates and a statement of conditions that would apply for—

- (a) services that shall be performed or made available by the Board at or in relation to the major port or major port approaches;
- (b) allowing access to or usage of port assets belonging to, or in the possession or occupation of, the Board, or any place within the port limits or the major port approaches;
- (c) any other revenue generating activity or operation at the major port or within the port limits

(2) Different scales and conditions may be framed by the Board for different categories or classes within the activities under sub-rule (1).

(3) The Board may, from time to time frame a consolidated scale of rates for any combination of service or services with any user or permission to use any port asset belonging to or in the possession or occupation of the Board.

(4) The scale of rates and statement of conditions framed under sub-rule (1) shall not apply to public private partnership projects awarded prior to the commencement of the Act or for the revision in the scale of rates of such public private partnership projects, for which separate directions from the Government shall apply.

4. Power of Board to constitute committee for determination of scale of rates, fees and conditions.—(1) The Board may constitute committee for the purpose of determining the scale of rates, fees and conditions under rule 3.

(2) Each committee constituted by the Board under sub-rule (1) shall consist of the following members, namely—

- (a) one Member of the Board, who shall be the chairperson of the committee;
- (b) finance head in the major port; and
- (c) not less than two and not exceeding four senior officials of the major port not below the rank of Head of Department in the major port.

(3) Each committee constituted by the Board under sub-rule (1) shall have a tenure of three years from the date on which it is constituted.

Provided that the Board may, at any time, replace any member of the committee by another qualified person on account of reasons pertaining to the death, sickness, injury, disability or retirement of such member or for any other reason as the Board may deem fit and proper.

(4) The committee constituted under sub-rule (1) shall meet at such time and at such places, and shall observe such regulations in regard to the transaction of business at its meetings including the quorum as may be specified by the Board.

(5) The Board may allow the committee constituted under sub-rule (1) to consult such experts, professionals or other officers of the major port (not below the rank of Head of Department) for determination of the scale of rates and conditions under rule 3, as the Board may specify by order in writing along with such conditions as it may deem fit and proper.

5. Functions of committee constituted by the Board.- (1) The committee constituted by the Board under sub-rule (1) of rule 4 shall, within such period and subject to such conditions as may be specified by the Board, determine the scale of rates, fees and conditions under rule 3 and submit its recommendations in writing to the Board for approval.

(2) The determination of the scale of rates, fees and conditions shall be done by the concerned committee after considering the following factors:

- (a) guidelines or directions issued by the Central Government in that behalf;
- (b) market conditions and competitive pricing; and
- (c) feedback received from stakeholders.

(3) Subject to sub-rule (2), the recommendations made under sub-rule (1) shall clearly explain the methodology, norms and procedures applied by the committee in determining the scale of rates, fees and conditions.

(4) The committee constituted by the Board under sub-rule (1) of rule 4 shall discharge its functions under these rules with due diligence.

6. Approval, fixation and publication of scale of rates by the Board.- (1) Upon receipt of recommendations made by the committee or committees under sub-rule (1) of rule 5, the Board may, with or without any changes, approve such recommendations and accordingly fix and frame the scale of rates, fees and conditions for the purposes specified in rule 3:

Provided that the reasons for any deviation from the recommendations made by the committee or committees shall be recorded by the Board in writing:

Provided further that the fixation and implementation of the scale of rates, fees and conditions by the Board under these rules shall-

- (a) not be with retrospective effect; and
- (b) not be in derogation with the guidelines or directions issued by the Central Government in this behalf; and
- (c) not be inconsistent with the provisions of the Competition Act, 2002 (12 of 2003) or any other law for the time being in force; and
- (d) have been fixed after evaluating the market conditions, competitive pricing and feedback received from stakeholders.

(2) The scale of rates, fees and conditions fixed by the Board under sub-rule (1) shall be published by the Board in the State Gazette and the same shall come into force from such date as may be notified by the Board in the said Gazette.

(3) The scale of rates, fees and conditions fixed by the Board under sub-rule (1) shall remain valid for a period of three years from the date of their notification in the State Gazette mentioned in sub-rule (2).

7. Fixation of first scale of rates.- The Board shall, within a period of one hundred eighty days from the date of commencement of the Act, fix and publish the first scale of rates, fees and conditions or adopt such scale of rates, fees and conditions that were existing immediately prior to the commencement of the Act.

8. Exemption from and remission of scale of rates or charges.- The Board may, in special cases and subject to such conditions as it may fix from time to time, and for reasons to be recorded in writing, exempt either wholly or partially any goods, services or vessels or class of goods, services or vessels from the payment of any rate or of any charge leviable in respect thereof according to any scale of rate or charge in force under the Act or remit the whole or any portion of such rate or charge so levied.

9. Review and revision in scale of rates, fees and conditions.- (1) The process for revision in the scale of rates, fees and conditions shall be initiated by the Board at least three months prior to their respective date of expiry:

Provided that if the Board is unable to undertake revision as aforesaid, the Board shall extend the last applicable scale of rates, fees and conditions for such period not exceeding six months and record the reasons for such extension in writing.

(2) Without prejudice to sub-rule (1), the Board may conduct an annual review of the scale of rates, fees and conditions fixed under these rules based on the business and financial performance of the major port and if deemed necessary, take corrective actions to that effect.

(3) In the event of change in law that results in the revision of any scale of rates, fees or conditions adopted or published by the Board under these rules, the revised scale of rates, fees or conditions, as the case may be, shall be adopted by the Board and notified for implementation.

10. Power to levy concessional rates in certain cases.- (1) In framing scale of rates under any of the foregoing provisions of these rules, the Board may prescribe a concessional rate in any of the following circumstances:

- (a) if it is a matter of national interest or emergency as determined by the Central Government;
- (b) if the Central Government has made an order in writing to that effect; or
- (c) if it is a matter of social importance for the State where the major port is situated; or
- (d) if it is warranted on account of market conditions or competitive pricing.

(2) In prescribing the concessional rate under sub-rule (1), the Board shall consider the proposal for concession, if any, placed before it and record the reasons in writing for prescribing the concessional rate, its validity and such conditions that shall be fulfilled in availing the benefit of such concessional rate.

11. Power of Central Government to require modification or cancellation of scale of rates.- (1) Whenever the Central Government considers it necessary in the public interest so to do, it may, by order in writing together with a statement of reasons therefor, direct the Board to cancel any of the scale of rates in force or modify the same, within such period as that Government may specify in the order.

(2) If the Board fails or neglects to comply with the direction under sub-rule (1) within the specified period, the Central Government may cancel any of such scale of rates or make such modifications therein as it may think fit.

Provided that before so cancelling or modifying any scale of rates the Central Government shall consider any objection or suggestion which may be made by the Board during the specified period.

(3) If any scale of rates has been cancelled or modified by the Central Government under sub-rule (2), such cancellation or modification shall be published by the Central Government in the Official Gazette and shall thereupon have effect accordingly.

12. Miscellaneous.- (1) The Chairperson of the Board may attend any committee meeting as *ex officio* member and whenever the Chairperson attends any committee meeting, he shall preside over that meeting.

(2) No committee member, other than the Chairperson of the Board or a person specifically authorized by him shall give information to the press or any other public media on matters related to any decision taken at the committee meetings.

[F No PD-24015/21/2021-0111]

VIKRAM SINGH, Jr. Secy